राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी जिला–पाली (पाली)

पीठासीन अधिकारी:– देवयानी (आरएएस)
राजस्व विविध प्रकरण संख्या:–2/2023
दायर तारीख:– 03.03.2023

प्रार्थी:–

भंवरलाल, जांवतराज, उत्तमचंद पुत्रगण तेजराजजी, जातिगण पोरवाल जैन, निवासीगण–घाणेराव, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी:–

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार देसूरी।

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति:–

1 श्री शान्तु कुमार चौहान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2 श्री कैलाश इनाणिया पैरोकार सरकार तहसीलदार देसूरी(भूमिधारी)

आदेश दिनांक 10/7/2023

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व नक्शे में ऑनलाईन गलत रूप से तरमीम की गई खातेदारी भूमि को शुद्धि की जाकर सही तरमीम करवाई जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि मौजा सरहद ग्राम घाणेराव तहसील देसूरी में स्थित कृषि भूमि आराजी मुल खसरा संख्या 3181 के बट्टा नंबर खसरा संख्या 3181/1, रकबा 1.6600 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल सूर्यभान सिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपुत निवासी घाणेराव की खातेदारी थी। खसरा संख्या 3181/1, रकबा 1.6600 हैक्टर में से 0.4800 हैक्टर कृषि भूमि विकय विलेख में वर्णित पडोसान के बीच की उक्त सूर्यभानसिंह से बजरिए रजिस्टर्ड विकय विलेख 16.12.2002 के प्रार्थीगण

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 18:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ने खरीद की जिसका नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम होकर बटटा नंबर 3181/3 बने है एवं उक्त खसरा नंबर 3181/1 में से रकबा 1.15 हैक्टर उमराव पत्नी निहालचंद, कमला पत्नी हीरालाल, तुलसी बाई पत्नी भंवरलाल, पूर्णिमा पत्नी भरत कुमार मेहता, संगम पत्नी जयपाल साकरिया, संगीता पत्नी दौलाराम, सपना पत्नी श्रीपाल, सीता पत्नी मांगीलाल ने खरीद की है जिसके बट्टा 3181/4 बने है। व खसरा 3181 रकबा 0.4400 हैक्टर केवलचंन्द पुत्र राजमल, प्रवीण कुमार पुत्र राजमल की खातेदारी की है एवं खसरा नंबर 3181/2, रकबा 0.4600 हैक्टर निकिता देवी पत्नी प्रवीण कुमार एवं निर्मला देवी पत्नी केवलचंद की खातेदारी की है। खसरा नंबर 3181/1 का रकबा 0.0300 हैक्टर शेष रहा है जो फ्रेडीकजो से फजोरूहा पुत्र माईकलविलियम नोरूहा की खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि मूल खसरा नंबर 3181 में से उपरोक्तानुसार कृषि भूमि आगे अंतरण होने पर इसके नक्शा में तरमीम नहीं किया गया था। एवं सेग्रीकेशन के दौरान जो ऑनलाईन नक्शा उक्त आराजीयात का बनाया गया वो वास्तविक स्थिति एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नहीं बनाया जाकर गलत रूपेण उक्त खसरा को नीचे लिखे पैरा (अ) में वर्णीत नक्शा अनुसार तरमीम कर दिया जो गलत है। जबकि नीचे पैरा (ब) में दर्ज नक्शा अनुसार ही भूमिया प्रार्थीगण सहित अन्य केतागणों ने खरीद की है। एवं मौके पर भी पैरा (ब) में वर्णित नक्शा में बताए अनुसार वक्त खरीद से मौके पर काबिज चले आ रहे है। एवं मौके पर इसी अनुसार प्रत्येक खातेदारों की भूमि के बाउण्डरी दिवारे बनाई हुई है। इस प्रकार उक्त खसरो की खातेदारी सही रूपेण रिकॉर्ड में दर्ज है। ऑनलाईन जो नक्शा बनाया गया तब गलत तरमीम हो गया है जिससे वास्तविकता एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नीचे पैरा (ब) में बताए अनुसार नक्शा में तरमीम किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार नक्शा में सही तरमीम किए जाने से खातेदारो की खातेदारी भूमि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगां किन्तु ऑनलाईन नक्शा में खसरे इधर–उधर गलत दर्ज हुए है जिसमें सुधार होकर सही तरमीम हो जाएगा। प्रार्थीगण द्वारा ऑनलाईनं गलतं तरमीम सुदा वर्तमान नक्शा खसरा नम्बरान का विवरण (अ) के अनुसारं एवं सही तरमीम जो किया जाना है नक्शा में खसरा नंबरान दर्शाए जाकर विवरण (ब) के अनुसार नक्शा की प्रति प्रस्तुत की है।

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 18:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में दस्तावेजात नक्शा ट्रैस, जमाबंदी संवत 2073–2076 समस्त खातेदारान की मय नामान्तकरण एवं विक्रय विलेख की फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर निवदेन किया कि उपरोक्त कृषि भूमि का ऑनलाईन नक्शा में पैरा (अ) में वर्णित अनुसार गलत तरमीम किया गया है जिसे पैरा (ब) में वर्णित नक्शा अनुसार तरमीम किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी से प्रकरण में मौका स्थिति एवं रेकर्ड की जांच कर वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नक्शा के मूल प्रकरण भेजकर भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार देसूरी द्वारा मौका एवं रेकर्ड की जांच कर मौका फर्द मय नजरी नक्शा मौका स्थिति अनुसार अपनी जांच रिपोर्ट में खातेदारान की कृषि भूमि गलत तरमीम की गई। नक्शा में पैरा (1) में दर्शाई गई है। एवं पैरा (2) में वर्णित खातेदारान के खसरा नंबरान की कृषि भूमि को सही तरमीम किए जाने हेतु जांच रिपोर्ट वक्त तरमीम खसरा नंबर 3181, 3181/1, 3181/2, 3181/3, 3181/4 की तरमीम पैरा (1) के अनुसार गलत कर दी गई थी। अतः मौके अनुसार व बेचान दस्तावेज अनुसार तरमीम सही करने एवं पैरा (2) के अनुसार तरमीम सही किए जाने की अनुशंषा की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मय दस्तावेजात नक्शा मौका एवं तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द एवं नक्शा के अनुशंषा रिपोर्ट मय सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि खातेदारान द्वारा कृषि भूमि माफिक रजिस्टर्ड दस्तावेजात के अनुसार क्रय की गई है। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार मौके पर खातेदारान की भूमि स्थित है लेकिन पूर्व में खसरा नंबर 3181, 3181/1, 3181/2, 3181/3, 3181/4 की तरमीम ऑनलाईन गलत होना प्रतीत है। तहसीलदार देसूरी की प्रस्तुत अनुशंषा मय पैरा (2) के अनुसार मय नक्शा के मौका अनुसार व बेचान दस्तावेज अनुसार तरमीम सही किए जाने की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 18:06:46 IST
Reason: SelfAttested

...शेष पेज लगातार 04 पर...

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः मौजा ग्राम घाणेराव के खसरा नंबर 3181, 3181/1, 3181/2, 3181/3, 3181/4 की तरमीम राजस्व नक्शा में ऑनलाईन गलत तरमीम होने से गलत की गई तरमीम को तहसीलदार देसूरी द्वारा अपनी मौका स्थिति एवं अनुशंषा रिपोर्ट मय नक्शा के अनुसार पैरा (2) में वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 3181, 3181/1, 3181/2, 3181/3, 3181/4 को मौका अनुसार व बेचान दस्तावेज अनुसार सही तरमीम किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार देसूरी को निर्देशित किया जाता है कि लट्ठा नक्शा एवं (शीट) में गलत तरमीम की शुद्धि की जाकर राजस्व ऑनलाईन में सही तरमीम की जावे एवं पालना रिपोर्ट बाद तरमीम न्यायालय हाजा को भिजवायी जाना सुशिचित करावे। मौका फर्द मय नजरी नक्शा एवं अनुशंषा जांच रिपोर्ट तहसीलदार देसूरी इस निर्णय का भाग समझा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 10/7/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 18:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner